भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

****

सं. 2005/टेली/आरसीआईएल/1 पार्ट.।। नई दिल्ली, दिनांक, 13/17.03.2015

महाप्रबंधक
उत्तर रेलवे मुख्यालय
बड़ौदा हाउस
नई दिल्ली - 110 001.

प्रबंध निदेशक
रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
प्लाट नं.- 143, सेक्टर-44
(गोल्ड सॉक माल के सामने)
गुड़गांव- 122003

टेलीकॉम परिपत्र सं. 4/2015

विषय: इंटरनेट बैण्डविथ टैरिफ का संशोधन।

संदर्भ:- (i) बोर्ड का दिनांक 03.04.2008 का समसंख्यक पत्र
(ii) बोर्ड का दिनांक 14.02.2013 का समसंख्यक पत्र
(iii) रेलटेल का दिनांक 09.06.2014 का पत्र सं. आरसीआईएल/सीएनओसी/चार्जेबिलिटी ऑफ इंटरनेट फॉर रेलवेज/11-12

******

बोर्ड ने अपने उपर्युक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से पूर्व में इंटरनेट बैण्डविथ का टैरिफ अधिसूचित किया था। रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से इंटरनेट बैण्डविथ को केन्द्रीकृत रूप से खरीदा जाता है और उत्तर रेलवे द्वारा इसका भुगतान केन्द्रीकृत रूप से किया जाता है जिसे 'राजस्व' में प्रभारित किया जाता है। इस राशि को सभी क्षेत्रीय रेलों में बराबर पुनर्विनियोजित किया जाता है और तदनुसार उत्तर रेलवे को सभी अन्य क्षेत्रीय रेलों द्वारा समान राशि को क्रेडिट किया जाता है।

2. चूंकि, बोर्ड द्वारा जारी की गई पिछली टैरिफ अधिसूचना के समय की तुलना में रेलटेल के लिए आईबीडब्ल्यू के खरीद मूल्य में परिवर्तन हुआ है इसलिए टैरिफ और उसकी समयावधि को निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:-

क्रम सं.	अवधि	गेटवे लोकेशन	क्षमता	आईबीडब्ल्यू की स्रोत लागत (लाख)	10% की दर से आईबीडब्ल्यू वितरण की ढाँचागत और प्रबंधन लागत	रेलों के लिए 7% की दर से डीओटी के शेयर सहित कुल प्रतिवर्ष दर (लाख)
1	जुलाई 2012 से अक्टूबर 2012 तक	सभी	डीएस3	4.22	0.42	4.99
2	नवम्बर 2012 से 31 मार्च 2013 तक	सिकन्दराबाद	डीएस3	5.25	0.53	6.21
		मुम्बई	डीएस3	5.48	0.55	6.48
		दिल्ली	डीएस3	5.97	0.60	7.06
3	1 अप्रैल से 23 नवम्बर, 2013 तक	सिकन्दराबाद	डीएस3	5.25	0.53	6.28
		मुम्बई	डीएस3	5.48	0.55	6.55
		दिल्ली	डीएस3	5.97	0.60	7.14
4	25 नवम्बर 2013 से 29 मई, 2014	दिल्ली	डीएस3	5.80	0.58	6.93
		मुम्बई	डीएस3	4.84	0.48	5.79
		चेन्नई	डीएस3	4.70	0.47	5.62
5	30 मई, 2014 से अगली सूचना तक	दिल्ली	डीएस3	4.83	0.48	5.78
6	24 जनवरी 2014 से अगली सूचना तक	मुम्बई	डीएस3	4.82	0.48	5.76
		चेन्नई	डीएस3	4.68	0.47	5.60

अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें बोर्ड के ऊपर संदर्भित पत्र के अनुसार रहेंगी। उत्तर रेलवे को सूचित किया जाता है कि वह इस संबंध में पहले किए गए भुगतान को इंटरनेट बैण्डविथ के लिए रेलटेल के भावी बिलों में समायोजित करे।

3. इंटरनेट बैंण्डविथ हेतु भुगतान का दावा करने के लिए बिल प्रस्तुत करते समय, रेलटेल द्वारा संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

5. कृपया पावती दें।

(हरीश पवारिया)
निदेशक/दूरसंचार
ई मेल: dtele@rb.railnet.gov.in
दूरभाष: 011-23388504

सं. 2005/टेली/आरसीआईएल/1 पार्ट.।। **नई दिल्ली, दिनांक, 13/17.03.2015**

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
2) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें.

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1) वित्त (व्यय)।। एवं बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
2) सीएसटीई/सभी भारतीय रेलें।

दूरसंचार परिपत्र सं. 4/2015 का संलग्नक

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि इंटरनेट बैण्डविथ की खरीद लागत में ________________ और ________________ की अवधि, जिसके लिए दिनांक ____________________ का बीजक सं. ______________________ प्रस्तुत किया गया है, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

प्रस्तुत किया गया बिल, रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए नीति निदेशों के अनुसार है।

कृते रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड